मन्त्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित करने के संबंध में।

––00––

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप–नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

"कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।"

2/ उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध – भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये।

3/ कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,**

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः 2

पृ.क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
2. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर